Hindustan

28 August, 2017

डीबीटी से 83,000 करोड़ रुपये लाभार्थी तक पहुंचे

नई दिल्ली | एजेंसियां

एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉयोमीट्रिक कार्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के तहत 83,184 करोड़ रुपये लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, जबकि पहले ऐसी योजनाओं का बहुत सारा धन बीच में गबन कर लिया जाता था।

एसोचैम के अध्ययन के मुताबिक जन-धन और आधार का असली फायदा सरकार की डीबीटी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में दिखती है। प्रत्यक्ष

रिपोर्ट

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना में 83,184 करोड़ रुपये पहुंचे
- करीब 3.34 करोड़ नकली उपभोक्ताओं को हटाया गया

लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं के कारण पहल के अंतर्गत 3.34 करोड़ नकली उपभोक्ताओं को हटाया गया तथा इसके अलावा 2.33 करोड़ राशन कार्ड बंद किए गए।

Dabang Duniya 28 August, 2017

कल्याणकारी योजनाओं में बॉयोमैट्रिक प्रणाली को जगह देता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : एसोचैम

नई दिल्ली। निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार बताने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आधार कार्ड जैसी बॉयोमैट्रिक प्रणाली के कई सरकारी योजनाओं

में इस्तेमाल को लेकर छिड़ी बहस के बीच उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि यह फैसला कल्याणकारी योजनाओं में आधार के इस्तेमाल को जगह देता है। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते हुए एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि नौ सदस्यीय संसदीय पीठ का यह ऐतिहासिक फैसला आधार कार्ड से जुड़ी सरकारी योजनाओं को एक जगह देता है। रावत ने कहा कि जब उच्चतम न्यायालय ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के अपव्यय पर रोकथाम की बात की तो यह आधार कार्ड को एक अवसर प्रदान करने जैसा है। केंद्र सरकार को डाटा की सुरक्षा और निजता तथा प्रशासन की वैध चिंताओं के बीच संवेदनशील संतुलन का माहौल बनाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के अपव्यय को रोकना प्रशासन की वैध चिंताओं में शामिल है।